

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

सहायक लोक अभियोजक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-03/2018) के संबंध में आवश्यक सूचना।

सहायक लोक अभियोजक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-03/2018) राँची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक-05.01.2020 से दिनांक-09.01.2020 तक निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है:-

क्र० सं०	दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	पूर्णांक	समय
1.	05.01.2020	प्रथम पत्र-सामान्य हिन्दी	द्वितीय पत्र-अंग्रेजी	प्रत्येक पत्र 100 अंक	प्रत्येक पत्र के लिए 3 घंटे
2.	06.01.2020	तृतीय पत्र-निबंध	चतुर्थ पत्र-सामान्य अध्ययन	प्रत्येक पत्र 100 अंक	
3.	07.01.2020	पंचम पत्र-साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया	षष्ठम पत्र-भारतीय दण्ड संहिता	प्रत्येक पत्र 200 अंक	
4.	08.01.2020	सप्तम पत्र-भारतीय संवैधानिक विधि	अष्टम पत्र-आपराधिक माइनर एक्ट	प्रत्येक पत्र 200 अंक	
5.	09.01.2020	क्षेत्रीय भाषा	100 अंक	

2. परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सूचना, प्रवेश-पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

ह०/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची-834001

सहायक लोक अभियोजक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-03/2018) के संबंध में
आवश्यक सूचना।

1. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर e-Admit Card (प्रवेश पत्र) एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है।
3. आयोग के वेबसाइट पर www.jpsc.gov.in दिनांक-21.12.2019 से अभ्यर्थी e-Admit Card (प्रवेश पत्र) एवं उपस्थिति पत्रक संबंधित लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थियों को e-Admit Card (प्रवेश-पत्र) प्राप्त करने में कठिनाई हो तो आयोग के **Helpline No. 0651-2213009/2220111/9431301419 /9431301636** पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से अपना e-Admit Card (प्रवेश पत्र) एवं उपस्थिति पत्रक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे आयोग के पूछताछ काउन्टर पर दिनांक-04.01.2020 अपराह्न-5:00 बजे तक कार्यालय अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि सहित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं।
5. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किये गए e-Admit Card (प्रवेश पत्र), उपस्थिति पत्रक एवं परीक्षा केन्द्र की जांच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर दिनांक-04.01.2020 अपराह्न-5:00 बजे तक लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किये गये e-Admit Card (प्रवेश पत्र), उपस्थिति पत्रक, आवेदन के समय अपलोड किये गये फोटो की एक स्वहस्ताक्षरित प्रति (Passport size) एवं एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ ले जायें, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी अपने उत्तर पत्रक/ओ0एम0आर0 सीट में आवश्यक जानकारियां प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र, ओ0एम0आर0 सीट के पार पृष्ठ पर अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्ट करें। ओ0एम0आर0 पत्रक में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित/नहीं भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य-पुस्तिकाएँ, खाद्य-सामग्री, पानी की बोतल एवं अस्त्र-शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
9. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित अवधि से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थी को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा-भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

10. दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र के साथ श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था की जायेगी।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।